कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, फर्रूखाबाद।

पत्रांकः 1828/जि0का0अ0/विज्ञप्ति/2025–26 दिनांकः 17 नवम्बर, 2025

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश लखनऊ के शासनादेश सं0 1/2025/3313/58–1–2025(1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद फर्रूखाबाद के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की मानदेय आधाारित संविदा के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट https://upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पूर्व विज्ञप्ति से प्रख्यापित कतिपय कारणों से रिक्त रहे गए आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	परियोजना का नाम	आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के रिक्त पदों की संख्या	आरक्षण		
			अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति
01	कायमगंज	01	00	00	01
02	कमालगंज	02	01	00	01
03	मोहम्मदाबाद	05	01	00	04
04	नवाबगंज	02	01	00	01
05	शमसाबाद	01	01	00	00
कुल योग		11	04	00	07

विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देशः–

01. आंगनवाड़ी कार्यकत्री के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार होगी।
02. आंगनवाड़ी कार्यकत्री पद हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। दिनांक 01.07.2025 को आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो। आयु के सम्बन्ध में हाई स्कूल अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि मान्य होगी।
03. विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यकता के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
04. निवास एवं जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजीटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे जिनका ऑनलाइन सत्यापन सभव हो।
05. आवेदन पत्र विभागीय बेवसाइट https://upanganwadibharti.in पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाईन व सही सावधानीपूर्वक भरे जायेंगे। सम्बन्धित आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ व स्पष्ट रूप से पठनीय हो, अपलोड की जायेंगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाईन फार्म में किया गया होगा। यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आंकडे/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक, पूर्णांक, गलत या कूटरचित पाए जायेंगे तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा एवं सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।
06. ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि 08–12–2025 होगी।
07. मा0 न्यायालय में वाद/निर्णय/आदेश होने या चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में रिक्तियों की संख्या घटाई–बढ़ाई जा सकती है।

(सुनील कुमार श्रीवास्तव)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
फर्रूखाबाद।